

प्रेषक,

संजीव कुमार
विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्त (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2014

विषय:- विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे मार्गों की मार्ग सुरक्षा ऑडिट की प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-25/आर०एस०/14 दिनांक 29.10.2014 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा नीति शासन के परिवहन अनुभाग-3 के पत्र सं०-1575(1)/30.03.2014-32 एम/13टीसी, दिनांक 16.06.2014 द्वारा निर्गत की गई है। सड़क सुरक्षा नीति के प्रस्तर-4 व 6 का कियान्वयन लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं०-(सिविल)-295-2012 में पारित आदेशों के अनुपालन में गठित रोड सेफ्टी कमेटी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रोड सेफ्टी के उपायों के सम्बन्ध में निरन्तर समीक्षा की जा रही है। समीक्षा हेतु उपलब्ध कराये गये प्रोफार्मा (संलग्न) में रोड सेफ्टी ऑडिट एक प्रमुख बिन्दु है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि " लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत समस्त निर्माण कार्यों की रोड सेफ्टी ऑडिट यथासम्भव स्वीकृति से पूर्व करते हुए आवश्यक प्राविधान आगणन में किये जायेंगे, किन्तु समस्त कार्यों का रोड सेफ्टी ऑडिट प्रत्येक दशा में तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व "IRC: SP :88-2010 Manual on Road Safety Audit " के अनुरूप करते हुए आवश्यक प्राविधान तकनीकी स्वीकृति में कर लिया जाय। वित्तीय वर्ष में क्षेत्रों में पूर्ण किये गये कार्यों में से 10 प्रतिशत कार्यों की रोड सेफ्टी ऑडिट 3rd पार्टी से करायी जायेगी व शेष 90 प्रतिशत कार्यों की रोड सेफ्टी ऑडिट सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जायेगी। 3rd पार्टी से रोड सेफ्टी ऑडिट हेतु प्रस्तावित 10 प्रतिशत मार्गों का चयन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा किया जायेगा। "

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

कैम्प नं० 7562 दिनांक 16/12/14
डाक 7562
सं० काम (IDS)
SE (IDS)
(SPRAXENA) 16/12/14
G. Engineer (HQ-1)
PWD, Lucknow

भवदीय,

(संजीव कुमार)
विशेष कार्याधिकारी

SO GO 2014(R)

संख्या- 1801 (1)/23-12-2014 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क) लो0नि0वि0 लखनऊ।
 - 2- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0) लो0नि0वि0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
संयुक्त सचिव।

शेख प्रो अभि0/ग्रामीण सड़क/लो0नि0वि0
आवृत्ति संख्या 5559 दिनांक 16/12/14

जाथमिकत।
मु० अ० (अ०-1)
मु० अ० (सं० 110)
मु० अ० (परि०/नियो०)
मु० अ० (W/B)
मु० अ० (UNB)

16/12/14

(अरविन्द सिंह)
प्रमुख अभियन्ता, ग्रामीण सड़क
लो0नि0वि0 लखनऊ